न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस'

प्रार्थना पत्र 18/2020

प्रार्थी–

बद्रीनारायण पुत्र श्री दुर्गाराम जाति–रिणवां
निवासी–हनुमान चौक, ग्राम जायल तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

अप्रार्थी–

1. **सरकार जरिये तहसीलदार जायल।**
2. **राजस्थान मरूधरा ग्रामी बैंक शाखा जायल जिला–नागौर**

उपस्थित –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा
2. अप्रार्थी संख्या 1 राजपैरोकार (तहसीलदार)
3. अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 26/7/2024

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी के खेत खसरा नं. 1465, 1415, 407, 440, 446, 449, 4669/407, 482 कुल रकबा 13.3142 हैक्टैयर के रूप में ग्राम जायल में खाता संख्या 1057 (पुराना–1031) दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम बद्रीराम दत्तक पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहमण निवासी देह खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम ब्रदीनारायण है, जबकि राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिपूर्वक, भूलवश एवं सहवन से खातेदार का नाम बद्रीराम दर्ज कर दिया गया है। राशनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेज में भी प्रार्थी का नाम बद्रीनारायण दर्ज है। बद्रीनारायण पुत्र दुर्गाराम नामक अन्य कोई व्यक्ति ग्राम जायल में निवास नहीं करता है न ही उक्त भूमि की खातेदारी अन्य किसी व्यक्ति का हित है। महज राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण प्रार्थी को विभिन्न राजकीय योजनाओ, ऋण में लाभ प्राप्त करने में परेशानी आ रही है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों से इस संबंध में सशोधन हेतु निवेदन भी

26/7/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

किया, जिनके द्वारा माननीय न्यायालय में विहित कार्यवाही करने की सलाह दी गई। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम रहन दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारी है इसलिए उन्हे प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट में पेश कर निवेदन है कि ग्राम जायल के खाता संख्या 1057 में वर्णित खसरा नं. 1465, 1517, 407, 440, 446, 449, 4669/407, 482 की भूमि में प्रार्थी का सही नाम ब्रदीराम के स्थान पर ब्रदीनारायण दर्ज किये जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब/रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक से दिनांक 19.03.2021 को प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई।

अप्रार्थी/राजपैरोकार ने प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट में बताया कि प्रकरण के संबंध में ग्राम जायल के आम गुवाड़ में पुछताछ, छानबीन एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार जांच पड़ताल की गई जिसके मुताबिक ग्राम जायल के खसरा नं. 1465, 1517, 407, 440, 446, 449, 4669/407, 482 जो कि जमाबंदी के अनुसार खातेदार बद्रीराम दत्तक पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहमण निवासी जायल के नाम खातेदारी में दर्ज है, आस–पास के खसरों के खातेदार ने उक्त भूमि पैतृक होना बताया है तथा खरीदसुदा नहीं होना बताया। इसी प्रकार बद्रीनारायण मूलतः रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल के जायन्दा पुत्र है तथा दुर्गाराम पुत्र हरिराम के गोद पुत्र है। बद्रीराम दत्तक पुत्र दुर्गाराम एवं बद्रीनारायण रिणवां पुत्र दुर्गाराम रिणवां जाति ब्राहमण एक ही व्यक्ति हैं। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम जायल में नहीं है, बद्रीनारायण रिणवां केवल साक्षर है, स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की जाना भी अपनी रिपोर्ट में बताया तथा विवादग्रस्त खसरान की भूमि पर प्रार्थी ब्रदीनारायण का ही कब्जा काश्त होना बताया।

प्रार्थना पत्र की ताहिद में वकील प्रार्थी ने पैनकार्ड, बैंक खाता की पास बुक की प्रति, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड की प्रति तथा प्रार्थी के गोदनामे की फोटोप्रति प्रस्तुत की तथा ओर साक्ष्य नहीं करना चाहा। वकील प्रार्थी के ओर साक्ष्य नहीं कराने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मौजा जायल के खतौनी सं. 1057 (पुराना 1031) में खसरा नं. 4669/407 को छोड़कर अन्य समस्त खसरान की भूमि राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जायल के नाम रहन दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम बद्रीराम दत्तक पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहमण निवासी देह खातेदार दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बद्रीनारायण दत्तक पुत्र दुर्गाराम है, जिसके साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजात् में पैनकार्ड, बैंक खाता की पास बुक की प्रति, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड की प्रति तथा प्रार्थी के गोदनामे की फोटोप्रति प्रस्तुत है। साथ ही मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक में भी प्रार्थी का सही नाम बद्रीनारायण होना अंकित है जिसे शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत अभिशंषा व्यक्त की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम बद्रीराम के स्थान पर बद्रीनारायण विवादग्रस्त खसरान की भूमि में खातेदार के तौर पर किये जाने को आदेश भूमिधारी तहसीलदार जायल के नाम जारी किये जावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम जायल तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 1057 सम्वत् 2073–76 में प्रार्थी का नाम बद्रीराम दत्तक पुत्र दुर्गाराम दर्ज है जिसके स्थान पर बद्रीनारायण दत्तक पुत्र बद्रीराम शुद्ध किये जाने में अप्रार्थी संख्या 1/राजपैरोकार ने अभिशंषा व्यक्त की है। इसी प्रकार पैनकार्ड, बैंक खाता पास बुक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जायल, भामाशाह व आधार कार्ड संख्या की फोटो प्रति में प्रार्थी का नाम बद्रीनारायण दर्ज है। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक के अवलोकन से प्रार्थी का वास्तविक नाम बद्रीराम न होकर बद्रीनारायण होना तथा बद्रीराम तथा बद्रीनारायण दोनो एक ही व्यक्ति होना प्रतीत होता है। लेकिन मौका रिपोर्ट तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात से यह भी साबित है कि प्रार्थी मूलतः रामचन्द्र पुत्र मोहनराम जाति ब्राहमण निवासी जायल का पुत्र है जो दुर्गाराम पुत्र हरिराम के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड गोदनामें के दुर्गाराम द्वारा गोद लिया गया है, जिसमें प्रार्थी का नाम बद्रीराम ही दर्ज है, उक्त गोदनामा तहसीलदार जायल द्वारा पंजीकृत सुदा भी है। साथ ही प्रार्थी का यह कहना है कि प्रार्थी का बैंक से ऋण व सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि नकल जमाबंदी के अवलोकन से खाता संख्या 1057 में वर्णित खसरान की भूमि 1465, 1517, 407, 440, 446, 449, 4669/407 तथा 482 में से खसरा नं. 4669/407 को छोड़कर समस्त खसरान की भूमि राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जायल के नाम रहन दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को बैंक से ऋण लेने में तथा सरकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त हो रहा है।

चूंकि प्रार्थी दुर्गाराम पुत्र हरिराम जाति ब्राहमण जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा के गोदपुत्र के रूप में है तथा पंजीकृत दस्तावेज में किसी भी प्रकार फेरबदल किया जाना भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की मंशा नहीं है, तथा प्रकरण में वर्णित भूमि भी पैतृक भूमि है, तथा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत साक्ष्य सबूतादि से यह भी साबित नहीं हो रहा है कि प्रार्थी की खातेदारी में उक्त खसरान की भूमि किस आधार पर दर्ज की गई है, उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया घोषणा खातेदारी क़ा प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट–1956 के तहत पोषणीय नहीं होने तथा,साक्ष्य सबूतादि के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है।

– : : **आदेश** : : –

यत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने तथा प्रार्थी के पक्ष में सम्पुष्ट नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26/07/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

26/07/2024

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल